न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनु

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

[illegible]ा नम्बर 11/2024 दायर दिनांक–18.01.2024

1. शारदा देवी पत्नी स्व0 सांवरमल जाति जांगिड निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

बनाम

1. राहुल कुमार पुत्र स्व0 सांवरमल
2. अरूण कुमार पुत्र स्व0 सांवरमल समस्त जाति जांगिड निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
4. तैम्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– **श्री बाबूलाल वर्मा**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक–23.09.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या पुराना 366 नया 421 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 908 रकबा 0.8600 है0 की भूमि को ना तो विक्रय करे ना किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करें ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवायें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से करवाये जाने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी की ओर से शहादत वादी में वादी रामा देवी के चीफ का सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादीगण की पैत्रिक संपति है जिसमें प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की भूमि है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। उक्त भूमि को प्रतिवादीगण बिना विधिवत विभाजन के विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है तथा वादिया के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर अमादा है। अतः निवेदन है कि जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरि[illegible]। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक [illegible]या गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से प्रमाणित [illegible] रिकॉर्ड की भूमि है। अतः जब तक भूमि का विधिवत विभा[illegible] हो जाता तब तक [illegible] की विक्रय, हस्तांतरित तथा खुर्द बुर्द नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये [illegible]चित है। फल[illegible] वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किय[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:39 IST
Reason: SelfAttested

–आदेश–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या पुराना 366 नया 421 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 908 रकबा 0.8600 है0 भूमि के संबंध में जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता प्रतिवादीगण को उक्त

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:39 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 11/2024 (शारदा देवी बनाम राहुल आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.09.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या पुराना 366 नया 421 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 908 रकबा 0.8600 है0 भूमि के संबंध में जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता प्रतिवादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:39 IST
Reason: SelfAttested